

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 185/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2020

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 18 फरवरी, 2020

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 162/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2020, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2020 के उपवेशन में लिये गये निर्णयानुसार :-

1-दिनांक 20 फरवरी, 2020 को सदन का उपवेशन नहीं होगा।

2-दिनांक 24 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मर्दे ली जायेंगी।

तदनुसार विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 मार्च, 2020 तक का सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम की प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 185(1)/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 5-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,

- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव।

(संलग्नक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 19 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 मार्च, 2020 तक का सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम

फरवरी, 2020

19 बुधवार	मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
20 गुरुवार	} बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि का अवकाश)
21 शुक्रवार	
22 शनिवार	} बैठक नहीं होगी।
23 रविवार	
24 सोमवार	1-विधायी कार्य। 2-वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
25 मंगलवार	} वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
26 बुधवार	
27 गुरुवार	
28 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
29 शनिवार	बैठक नहीं होगी।

मार्च, 2020

01 रविवार	बैठक नहीं होगी।
02 सोमवार	} वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
03 मंगलवार	
04 बुधवार	
05 गुरुवार	
06 शुक्रवार	
07 शनिवार	1-वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन)। 2-द्वितीय असरकारी दिवस (आधा दिन)। 1-वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3:00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।